कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,प्रा0शि0 बागेश्वर

आदेश संख्या/ 157 / मान्यता –प्राथमिक/जूनियर/2016–17 दिनांक 21 सितम्बर 2016

सेवा में

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक

कन्ट्रीवाइड पब्लिक स्कूल बनेत, गरुड

विषय– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 में उपनियम (6) के अर्न्तगत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र

महोदय/महोदया

आपके निजी विद्यालय मान्यता आवेदन पत्र के कम में आपके विद्यालय को प्री–प्राईमरी से कक्षा 08 तक अंग्रेजी माध्यम से संचालन हेतु 01 अप्रैल 2015 से मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन में अधीन होगी–

01. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 08 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
02. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
03. विद्यालय अपनी कक्षा 01 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा,परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिऐ भी किया जायेगा।
04. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता–पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
05. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आयु प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म,जाति,जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
06. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किऐ जाऐंगें–
   (एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   (दो) किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
   (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण प्रत्र प्रदान किया जाएगा।
   (पांच) अधिनियम के प्राविधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश किया जाएगा।

क्रमशः पृष्ठ 02 पर

Principal
Countrywide Public
School, Garur

COUNTRYWIDE PUBLICE
SCHOOL GARUR
MANAGER

(छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा,

(सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा(1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगें ।

(आठ) शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि(ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगें।

07. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठयचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

08.विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सूविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्वत मानकों एवं मानदडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् होगा–

विद्यालय – परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्र
खेल के मैदान का क्षेत्र
कक्षा–कक्षों की कुल संख्या
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह भंडार कक्ष
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय
पेयजल की सुविधा
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर
बाधारहित पहुँच
शिक्षण अधिगम सामाग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता

10. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के ना
से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।

11. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किय
जायेगा। इस भवन/ संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किय
जायेगा।

12.विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860(1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी द
द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालि
होगा।

13 विद्यालय किसी व्यक्ति,समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लि
संचालित नहीं होगा।

14. लेखा का संपरीक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारि
नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी।प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्र
प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

15.आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 087 C 2016 है। इस कार्यालय से किसी प्रक
का पत्राचार करने में इस कोड को कृप्या अंकित एवं उद्वत किया जाए।

16. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर मॉगे प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्याल
के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति
सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय–समय
निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

क्रमशः पृष्ठ 03

Principal
Countrywide Public School

COUNTRYWIDE PUBLICE
SCHOOL GARUR
MANAGER

17. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

18. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

19 विद्यालय को इस प्रतिबन्ध के साथ मान्यता प्रदान की जाती है कि वर्तमान में मानक से कम 02 अध्यापक बीएड टी.ई.टी.प्रथम व 01 अध्यापक बी.एड.टी.ई.टी.द्वितीय की प्रतिपूर्ति शैक्षिणिक सत्र 2016–17 की समाप्ति तक विद्यालय में करते हुऐ अधोहस्ताक्षरी को प्रमाण पत्र सहित अवगत करायेगा अन्यथा कि स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी जिसके लिये विद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगें।

21/09/16

(आकाश सारस्वत)
जिला शिक्षा अधिकारी,प्रा0शि0
बागेश्वर।

पृ0स0 / 4323–35 / मान्यता–प्राथमिक / जूनियर / 2016–17 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

01. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून
02. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमाउं मण्डल नैनीताल
03. मुख्य शिक्षा अधिकारी बागेश्वर।
04. उप शिक्षा अधिकारी गरूड़।

21/09/16

जिला शिक्षा अधिकारी,प्रा0शि0
बागेश्वर।

COUNTRY ... SCHOOL ... MANAGER